

मध्यप्रदेश शासन
गृह(पुलिस)विभाग
मंत्रालय वल्लभभवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 02 फरवरी, 2011

क्रमांक 189/2808/2010/बी-3/दो, राज्य शासन एतद् द्वारा जारी किये गये ज्ञापन क. 76/2808/10/बी-3/दो, दि० 17.01.2011 को निरस्त करते हुए ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के अनुरूप नगर सैनिकों को कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु/घायल होने पर निम्नानुसार अनुग्रह राशि प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान करता है:-


1.	मृत्यु हाने पर	₹ 3.00 लाख (तीन लाख)
2.	स्थायी अशक्तता होने पर	₹ 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार)
3.	एक आँख/एक हाथ/एक पैर के भंग होने पर	₹ 1.00 लाख (एक लाख)
4.	गंभीर चोट लगने पर	₹ 25,000 /-(रु० पच्चीस हजार)

2. अनुग्रह राशि का भुगतान मांग संख्या-3-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें {107} होमगार्ड-2710-प्रधान सेनानी कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय-42-007 अन्य मद से विकलनीय होगा।

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू०ओ०क० 49/1582/ब-8/चार/10 दिनांक 10.01.2011 के अनुक्रम में जारी की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(डी०के० वाघवानी)

अवर सचिव

म०प्र० शासन, गृह विभाग

भोपाल दिनांक 02 फरवरी 2011

पृष्ठां. क. 190/2808/10/बी-3/दो,

प्रतिलिपि:-

- 1 महानिदेशक, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, जबलपुर कैम्प भेपाल,
- 2 प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, वित्त विभाग, ब-8 मंत्रालय, भोपाल,
- 3 महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
- 4 आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल,
- 5 कोषालय अधिकारी, जबलपुर,

की ओर ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अवर सचिव

म०प्र० शासन, गृह विभाग